सं.डीएम/40/2026-डीएम

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

कर्त्तव्य भवन-2, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 02.11.2026

<u>एडवाईजरी</u>

सेवा में,

1. ऑनलाइन सृजित सामग्री के सभी प्रकाशक ('ओटीटी प्लेटफॉर्म' के रूप में संदर्भित);

2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक मामलों के सभी प्रकाशक ('डिजिटल समाचार प्रकाशक' के रूप में संदर्भित);

3. मध्यस्थ

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन के संबंध में ऑनलाइन सृजित सामग्री के सभी प्रकाशकों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एजवाईजरी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समक्ष विभिन्न डिजिटल समाचार प्रकाशकों तथा ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम' के रूप मे संदर्भित) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के मामले आए हैं।

2. इस संबंध में फिर से यह दोहराया जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित सामग्री को नियंत्रित करने वाले सांविधिक प्रावधानों का अक्षरशः एवं भावनात्मक रूप से, विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में, कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें:

I. दृश्यों की टाइम स्टैम्पिंग: यह देखा गया है कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध असंबद्ध एवं पुराने वीडियो तथा दृश्य-खंडों (क्लिप्गिंस) को भ्रामक तरीके से जनहित की हाल की घटनाओं से

संबंधित बताकर प्रसारित किया गया है। ऐसी सामग्री से दर्शकों के मन में गलत धारणा उत्पन्न होने की संभावना रहती है तथा इससे भ्रामक सूचना का प्रसार हो सकता है। इस संबंध में, वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय अभिलेखीय, उदाहरणात्मक अथवा पूर्व में रिकॉर्ड किए गए फोटो और वीडियो का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। एक उत्तम कार्य-पद्धति के रूप में, डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित करने से पहले सभी दृश्यों पर उनकी मूल तिथि, स्थान और संदर्भ की टाइम स्टैम्पिंग (समय-मुद्रांकन) करना सुनिश्चित करें।

जहाँ उपयोग किए गए दृश्य मूल न हों और सोशल मीडिया सहित बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए हों, वहाँ टाइम स्टैम्पिंग के साथ-साथ स्रोत का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है।

II. आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन की कवरेज: सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन का सीधा प्रसारण हतोत्साहित किया जाता है तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा बलों की विशिष्ट सामरिक स्थिति, तैनाती अथवा उनकी गतिविधियों, पहुँच मार्गों या ऑपरेशन संबंधी विवरणों का वास्तविक समय में खुलासा करने से बचें, जहाँ इस प्रकार के खुलासे से चल रहे ऑपरेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो अथवा लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता हो। इसके अतिरिक्त, डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि ऐसे ऑपरेशन के समाप्त होने तक किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर की जाने वाली ब्रीफिंग के आधार पर ही विधिसम्मत सूचनाओं का प्रसारण करें। दृश्य सामग्री को लाइव फुटेज के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत किए जाने से बचने के लिए उस पर दिनांक एवं टाइम स्टैम्पिंग करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

III. हिंसक अथवा विचलित करने वाले दृश्यों का उपयोग: ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को हिंसक, वीभत्स अथवा विचलित करने वाले दृश्यों को प्रकाशित करते समय उचित सावधानी, जिम्मेदारी तथा संपादकीय विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ उपयुक्त ब्लरिंग अथवा मास्किंग की तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। तदनुसार, जहाँ आवश्यक हो, वहाँ विधिवत दिनांक एवं टाइम स्टैम्पिंग दृश्यों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

IV. अपराध एवं हिंसा का चित्रण: यह सलाह दी जाती है कि अपराध एवं हिंसा से संबंधित दृश्यों का प्रकाशन सत्यापित तथ्यों एवं वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ दिनांक एवं टाइम-स्टैम्पड दृश्यों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए कि शीर्षक, थंबनेल तथा कैप्शन में रिपोर्ट की गई घटना को उसके वास्तविक स्वरूप से भिन्न रूप में प्रस्तुत न किया जाए। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ उपयुक्त धुंधलापन (ब्लरिंग) अथवा छिपाने (मास्किंग) की तकनीकों के

उपयोग का सुझाव दिया जाता है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामग्री के संबंध में अपेक्षित समुचित सावधानी तथा संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।

V. प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं तथा बड़ी दुर्घटनाओं/घटनाओं की कवरेज: प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं तथा बड़ी दुर्घटनाओं/घटनाओं से संबंधित सामग्री में उपयोग किए जाने वाले दृश्यों पर, जहाँ आवश्यक हो, उपयोगकर्ताओं में अनावश्यक भय एवं घबराहट से बचने के लिए विधिवत दिनांक एवं टाइम स्टैम्पिंग किया जाना चाहिए। केवल सत्यापित तथ्यों को रिपोर्ट करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

VI. भारत के प्रामाणिक मानचित्र का उपयोग: ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी समस्त सामग्री में केवल भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के प्रामाणिक मानचित्रों का ही उपयोग करें।

VII. सांप्रदायिक सद्भाव एवं वाद-विवाद कार्यक्रम: ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य समुदायों का चित्रण करते समय उचित सावधानी एवं विवेक बरतने तथा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि कोटेशन्स, दृश्यों, अनुवादों एवं आरोपों आदि को उनके उचित संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। हिंसा भड़काने तथा गैरकानूनी रूप से वैमनस्य को बढ़ावा देने से संबंधित लागू कानूनों का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है।

VIII. यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का संरक्षण: ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा न करने के संबंध में लागू सांविधिक संरक्षणों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (जिसमें रिट याचिका संख्या 565/2012, निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में जारी निर्देश शामिल हैं) का अनुपालन करना होगा। इसमें उन मामलों जहाँ कानून अथवा न्यायालय के आदेश द्वारा इसकी स्पष्ट अनुमति दी गई हो, को छोड़कर ऐसे किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विवरण, दूरस्थ तथ्यों, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य ऐसी जानकारी का खुलासा करने से बचना शामिल है, जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है।

IX. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कृत्रिम रूप से सृजित सामग्री का उपयोग: डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा सृजित अथवा मैटेरियल रूप से परिवर्तित फोटो, वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग का सत्यापन करने के लिए उचित कदम उठाएँ, जहाँ कृत्रिम रूप से सृजित सामग्री को वास्तविक व्यक्तियों अथवा घटनाओं के संबंध में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ उचित प्रकटीकरण करें तथा प्रामाणिक समाचार फुटेज अथवा वक्तव्यों को भ्रामक रूप में प्रस्तुत किए जाने से बचाव सुनिश्चित करें।

3. मध्यस्थों द्वारा समुचित सावधानी: मध्यस्थों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 तथा आईटी नियम, 2021 के भाग-II के अंतर्गत उन पर लागू समुचित सावधानी संबंधी दायित्वों एवं अन्य बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिनमें यथालागू नियम 3, 4 एवं 5 शामिल हैं। यथालागू नियम 3(3) एवं 4(1क) के अंतर्गत कृत्रिम रूप से सृजित सूचना से संबंधित प्रावधानों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4. ओटीटी प्लेटफॉर्मों तथा डिजिटल समाचार प्रकाशकों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे अपने संपादकीय एवं सामग्री-समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सामग्री के सृजन एवं प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक किया जाए। इस संबंध में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा जागरूकता सत्रों के आयोजन को प्रोत्साहित किया जाता है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

02/11/2026

(अर्पिता एस)

उप सचिव

प्रतिलिपि:

1. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत सभी स्व-विनियामक निकाय।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट।

3. मध्यस्थ।